

179

139

राजस्थान सरकार  
स्टेट मोटर गैरान विभाग

क्रमांक: प-5898 स्टेट-मो-गे-2000।

जयपुर, दिनांक: 28-11-2001

समस्त जिला कलेक्टर,

राजस्थान।

परिपत्र

विषय: स्टेट मोटर गैरान विभाग की वाहनों को जिकों के  
दोरे के दौरान उधार पेट्रोल उपलब्ध कराने  
बाबत।

महोदय,

प्रायः अतिविश्रुत व्यक्तियों, राजकीय अतिथियों जिनके राजस्थान  
आगमन के समय स्टेट मोटर गैरान की वाहनों को उपलब्ध कराया जाता है।  
इसके अतिरिक्त राज्य के मंत्रीगणों एवं उच्च अधिकारियों को भी स्टेट मोटर  
गैरान विभाग से ही वाहन उपलब्ध कराई जाती है। इन यात्राओं के दौरान  
विभाग द्वारा भारी राशि अग्रिम के रूप में वाहन चालक को उपलब्ध करानी  
पड़ती है। अनेक बार अग्रिम राशि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण  
विश्रुत व्यक्तियों को यात्रा के दौरान पेट्रोल राशि के अभाव में काफी  
कठिनाई अनुभव करनी पड़ती है तथा नवत विश्रुत व्यक्तियों निर्धारित समय  
पर अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँच पाते। इसके अतिरिक्त अनेक बार  
अग्रिम राशि के अभाव में विश्रुत व्यक्तियों को वाहन उपलब्ध कराने में  
कठिनाई आती है।

अतः नवत विश्रुत व्यक्तियों को वाहन सेवारत रूप से उपलब्ध  
कराने के परिपेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि समस्त जिला कलेक्टर,  
विश्रुत व्यक्तियों की यात्रा के दौरान स्टेट मोटर गैरान की वाहनों  
को अधिकृत पेट्रोल पम्पों से उधार पेट्रोल उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराये  
तथा पेट्रोल बिल वाहन चालक के साथ विभाग में ताकि स्टेट मोटर गैरान  
द्वारा भुगतान प्रीय किया जा सके।

R. B. Sec

[Signature]

4/12/01

500

4/12/01

V. D. Sharma  
6/5/12

भारतीय,  
[Signature]  
भारत सचिव

प्रतिवेदन निम्न दो सूचनाओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान महोदय, राजकोट।
2. सचिव, माओइकासी महोदय, राजकोट।
3. महासेवाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त प्रमुख भारत सचिव/भारत सचिव/विश्रुत भारत सचिव, राजस्थान, जयपुर।